

**अनुमति की शर्तें।**

- (i) उक्त भवन/प्लॉट के निर्माण की स्वीकृत आवेदन रिक्त नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

**एकल श्रेणी केवल आवासीय अधीनार्थ**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 117, दिनांक 28/05/2019

प्राचीन शालीमती डांगरे चौक w/o शीमती लीतन बौहला @ शीमती चन्द्रा  
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 w/o श्री मोहनलाल  
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु प्लानचित्र कार्यालय में पेश  
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12,216/- जमा की  
 जरिये रसीद संख्या 1028/978, 979 दिनांक 28/05/2019 को जमा करायी है।

प.नं: 18-ई/878-पापलनी श.डी.सि.ग बोर्ड

**प्रारूपकार**  
नगर निगम, जोधपुर

जी.ए.  
आवासीय

Klinic  
नरेश शर्मा